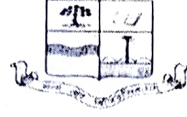


अतिआवश्यक



पटना विश्वविद्यालय

PATNA UNIVERSITY

NAAC Accredited B+ Grade

सूचना

पटना विश्वविद्यालय ज्ञाप संख्या AC/AC/-512 दिनांक 26.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के द्वारा पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत वैसे सभी प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी जिन्हें किररी भी मद में व्यय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम दिया गया है और जिसका सामंजन आदिनांक नहीं कराया गया है, उन्हें पुनः निदेशित किया जाता है कि 25 जुलाई, 2025 तक अग्रिम के विरुद्ध व्यय विपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में हस्तागत कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक अग्रिम के विरुद्ध व्यय विपत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका वेतन माह जुलाई, 2025 से बाधित रहेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्राचार्य/शिक्षक एवं कर्मी की होगी। इस संदर्भ में सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय पदाधिकारी अपने अधीन शिक्षक एवं कर्मियों को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें।

कुलपति के आदेश से

Shalini
14-7-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञाप संख्या:- लेखा/1070

दिनांक-14/07/2025

प्रतिलिपि :- 1. सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय 2. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 5. अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय मुद्रणालय 6. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय औषधालय 7. प्रभारी पदाधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, पटना विश्वविद्यालय 8. विश्वविद्यालय अभियंता, पटना विश्वविद्यालय 9. सभी प्रशासक पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 10. आंतरिक अंकेक्षक, पटना विश्वविद्यालय 11. प्रभारी पदाधिकारी, आई0 टी0 सेल को पटना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड हेतु 12. कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय 13. कुलसचिव के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shalini
16-7-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

MKS
14/7/25